

10

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - मसूरी सीवरेंज योजना
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। - संलग्न है
- ग) परियोजना की लागत। - 6173.25 lac
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। - कैमल बैक जोन में सीवरेंज व्यवस्था हेतु एस0टी0पी0 एवं पहुँच मार्ग का निर्माण आवश्यक है।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) - लागू नहीं
- घ) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - रु0 100.00 लाख
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: - 0.165 हेक्टे0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या - x
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - x
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - x
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) - हाँ
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। - संलग्न है

दिनांक 14.10.2013

स्थान (देहात) मसूरी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम: एम0 प्रस्ताव
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मोहर मसूरी (देहात)
प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)